

भारतीय संविधान के निर्माण में निहित दृष्टिकोण का वरीष्ठ प्रबन्ध  
 (The philosophy in the formation of Indian Constitution)  
 भारत के संविधान का मौलिक दृष्टिकोण हमें संविधान की  
 प्रस्तावना में मिलता है। प्रस्तावना इस प्रकार है:-  
 "हम, भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व सम्पद लीकरते  
 हमके गांधर्वव्यवस्था बतावें के लिए तथा उसके समर्थन नागरिकों द्वारा  
 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्याय, विचार, आमित्याको  
 विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और  
 अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें  
 व्याकों की गारिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली  
 बन्धुता बढ़ाने के लिए हृदय संकल्प होकर अपनी इस  
 संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1959 है। मिति  
 मार्गशीर्ष कुक्ल संस्कृतमें, समवत् द्वी हजार हृ. विक्रमी के  
 रत्न द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आयोविधामेत और  
 आत्माप्रित करते हैं।"

इस प्रकार भारतीय संविधान में निहित दृष्टिकोण की आमित्याकोंति प्रस्तावना में की गई है। वास्तव में इस दृष्टिकोण के राजनीतिक दृष्टिकोण-कल्पाणकारी राज्यको और उन्मुख उदारवादी लोकतंत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप था। जिससे संविधान का निर्माण हो गया।

### सामाजिक-आर्थिक आवार

1. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीयों में यह विश्वास हो गया।  
 & कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति स्वतः देश की सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान कर देगी। जोड़ित सकारात्मकी के बाद मी सारी सामाजिक और आर्थिक तुच्छियों का समनदर्शक सका।

२. राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद, प्रस्तावना यमी भारतीय नागारिकों को कनिष्ठ औलेन उद्घेष्यों की प्राप्ति का लोक्या करता है। इसे उद्घेष्य समाजेक आधिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति है। इसे प्रस्तावना का मौलिक आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसाएव विचार, अभियांत्रिक, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को कुसरा उद्घेष्य बताया गया है। नागारिकों की न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देव के बाद प्रस्तावना, प्रतिक्रिया और अवसर को समावता यमी नागारिकों को प्राप्त करती है।

३. संविधान के नोटि निर्देशक तत्वों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान विर्माता जनता के आधिक उत्थान और उनकी दृश्या में सुधार के लिए संविधान की एक शासकीय घट्ट बताव के लिए प्रभलक्षणीय। साथ ही, सम्पूर्ण संविधान से यह अमानविलक्षण उत्तिवेष अजातात्मक एवं विधि के शास्त्र को अन्धमात्रता एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्त सामाजिक और आधिक कार्यक्रम पर समावेश है। जो एवं दिया गया है कि शामिल पुष्टि, लियो और कानून के स्वोत्तर एवं शास्त्रीय बातें वात्सा व्यव्यों की युक्ति की भी कुसरपयोग के अतः ऐसी परिस्थितियों के विरोध किया जाय।

४. संविधान वेअवस्थार, भूरा में धर्म, जाति जाति, नस्ल, उल्लेख, लिंग, जन-स्वातंत्र्यात्मक और अधिक परिवर्तनाको साधमेन्द्रिय तरीके से सकते।